मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019, परीक्षा दिनांक 12.01.2020 (रविवार)

पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.-7821/05/2021/अनु.-10 इंदौर, दिनांक:- 10.10.2022

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्र.-04/2019/14.11.2019, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि-09.12.2019, (1) शुद्धि पत्र क्र.-01/03-04/2019 दिनांक 18.11.2019 (परीक्षा शुल्क के संबंध में), (2) शुद्धि पत्र क्रमांक-04/03-04/2019 दिनांक 09.12.2019 (अधिकतम आयु सीमा एवं ऑनलाइन आवेदन अवधि में वृद्धि की सूचना के संबंध में), के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के कुल-06 पदों हेतु राज्य वन सेवा वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019, परीक्षा दिनांक 12.01.2020 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरूचि परीक्षण अपराह्न 02:15 से 04:15 बजे तक प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी।

02/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की श्रेणीवार संख्या अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणी	कुल विज्ञापित पद
अनारक्षित (UR)	2
अनुसूचित जाति (SC)	1
अनुसूचित जनजाति (ST)	1
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	1
कुल	6

03/ राज्य सेवा परीक्षा 2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक में दिनांक 29.09.2022 के निर्णय क्र.-26 में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सेवा / वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया :-

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाए :-

1 सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27 प्रतिशत मान्य करते हुए उन्हें 14 प्रतिशत मुख्य भाग हेतु एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग हेतु गणना कर पृथक-पृथक किया जाए। साथ ही समस्त विभागों से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया जाए।

2 उपरोक्त विभाजित 14 प्रतिशत पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87 प्रतिशत पदों को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

3 उपरोक्त (1) की गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार

अविरत/....

प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शार्टलिस्टेड) प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध।

4 समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विभाजित पद विवरण सहित सभी पदों का विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यत: मांग लिया जाए। विभागों से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।

5 परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का वचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यत: प्राप्त किया जाए।

6 तत्पश्चात् मुख्य भाग (87 प्रतिशत) का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर अनुशंसा संबंधित विभागों को प्रेषित की जाए।

7 प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गों (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए तैयार कर दो पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाए। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुशंसा प्रेषित की जाए।

8 सभी लंबित लिखित परीक्षाओं/साक्षात्कार होने वाले या सम्पन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम यथाशीघ्र घोषित किए जाए।

9 उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।

10 माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, जबलपुर द्वारा डब्ल्यू.पी.-542/2021 एवं अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय दिनांक 07.04.2022 के परिपालन में राज्य सेवा/राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 के पूर्व घोषित दोनों परीक्षा परिणाम दिनांक 21.12.2020 निरस्त किए जाते है। इस अनुक्रम में पूर्व घोषित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम-2019 के परीक्षा परिणाम दिनांक 31.12.2021 एवं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा परीक्षा परिणाम दिनांक 31.12.2021 भी निरस्त किए जाते है।

राज्य सेवा/राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 के उपरोक्त पुनरीक्षित किये जाने वाले परीक्षा परिणाम में राज्य सेवा/राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 हेतु अर्ह होने वाले सभी अभ्यर्थियों की पुन: राज्य सेवा/राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 का आयोजन किया जाएगा तथा पूर्व में आयोजित राज्य सेवा/राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 हेतु आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नवीन राज्य सेवा/राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

11 समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी.-5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

अविरत

04/ उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित लिखित परीक्षा परिणाम निम्नानुसार दो भागों में है-(अ) मुख्य भाग (87 प्रतिशत) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)।

मुख्य भाग-अ के लिए राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उपरोक्त पदों के 15 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

मुख्य भाग-अ

श्रेणी	15 गुना+समान अंक
अनारक्षित (UR)	30
अनुसूचित जाति (SC)	16
अनुसूचित जनजाति (ST)	17
अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	20
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	16
कुल	99

05/ राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 के पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु भाग-अ के लिए प्रावधिक रूप से अर्ह पाए गए कुल-99 आवेदकों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

अविरत/....

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE FOREST SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION 2019 - REVISED PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
1.	100642	37.	209078	73.	354189
2.	106151	38.	209790	74.	355393
3.	106824	39.	219001	75.	357736
4.	110176	40.	220193	76.	363987
5.	112667	41.	224111	77.	367117
6.	112706	42.	225305	78.	370174
7.	113165	43.	227419	79.	376737
8.	115310	44.	237294	80.	379128
9.	115857	45.	241170	81.	379345
10.	116041	46.	258824	82.	381862
11.	116126	47.	267246	83.	382124
12.	117461	48.	277411	84.	384435
13.	119138	49.	287597	85.	393179
14.	119861	50.	295816	86.	400232
15.	119980	51.	302370	87.	400838
16.	121030	52.	305502	88.	403892
17.	123042	53.	314617	89.	404192
18.	123455	54.	316715	90.	409605
19.	123698	55.	318100	91.	409624
20.	126467	56.	318978	92.	419699
21.	126755	57.	323974	93.	420108
22.	128714	58.	326175	94.	420598
23.	129352	59.	326295	95.	423204
24.	129994	60.	326563	96.	439226
25.	130090	61.	326597	97.	448562
26.	130716	62.	327676	98.	453719
27.	134335	63.	329293	99.	463073
28.	137330	64.	332264		
29.	138855	65.	339184		
30.	149111	66.	341605		
31.	151166	67.	343141		
32.	165630	68.	344307		
33.	189386	69.	344741		
34.	194900	70.	344875		
35.	200243	71.	346463		
36.	201202	72.	347289		

प्रावधिक भाग-ब

राज्य वन सेवा प्रारंभिक-2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद विज्ञापित किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रकरण विचाराधीन हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का विज्ञापन में 1 पद विज्ञापित हैं यदि सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन के पत्र दिनांक 15.12.2020 के प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापित अन्य पिछड़ा वर्ग की पद संख्या 1 को 27 प्रतिशत मान्य किया गया एवं यदि माननीय न्यायालय का निर्णय अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत का भी होता हैं तब भी अन्य पिछड़ा वर्ग की पद संख्या यथावत 01 (एक) ही रहेगी। अतएव पदों का श्रेणीवार विवरण यथावत रखा जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं 5901/2019 एवं अन्य संलग्न याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.03.2019, 31.01.2020, 16.02.2020 एवं 27.04.2022 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" के परिप्रेक्ष्य में आयोग बैठक दिनांक 29.09.2022 के निर्णय क्रमांक-26 के परिपालन में राज्य सेवा/वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 का पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन के संदर्भित दिशा-निर्देश 29.09.2022 को लागू करने पर भी राज्य वन सेवा प्रारंभिक-2019 का पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम मुख्य भाग-अ तक ही सीमित रहेगा एवं प्रावधिक भाग-ब निरंक होगा।

श्रेणी	कुल अर्ह अभ्यर्थी
अनारक्षित (UR)	निरंक
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	निरंक
कुल	निरंक

महत्त्वपूर्ण टीप :–

01. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि आवेदक राज्य वन सेवा परीक्षा-2019 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तो को पूर्ण नहीं करते है तो मुख्य परीक्षा हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
02. राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। जिसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट **www.mppsc.mp.gov.in** पर जारी कर दी जाएगी।
03. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
04. ऑनलाईन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।
05. मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक रूप अर्ह आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाईट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा पणिाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
06. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई भी तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

अविरत

07. आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त शर्तों को पूरा करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या शारीरिक क्षमता परीक्षण/ साक्षात्कार के लिए आमंत्रित

08. किये जाने का अर्थ यह कदापि नही होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया हैं। वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।

09. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.-5901/2019 एवं संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

10/10/22

उप परीक्षा नियंत्रक